सिक्किम विधान सभा सदस्य निरर्हता हटाना अधिनियम, 1978

(1978 का सिक्किम अधिनियम संख्यांक 5)

[31 मार्च, 1978]

कतिपय लाभ के पदों के धारकों को सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न होना घोषित करने करने के लिए

अधिनियम

यह घोषित करना समीचीन है कि कतिपय पद सिक्किम राज्य की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए उनके धारकों को निरर्हित न करेंगे ।

सिक्किम विधान-मंडल द्वारा भारत गणराज्य के उन्नतीसवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिक्किम विधान सभा सदस्य निरर्हता हटाना अधिनियम, 1978 है ।

(2) यह 3 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं---इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :---

(क) "प्रतिकारात्मक भत्ता" से ऐसी कोई धनराशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को पद के कृत्यों का अनुपालन करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की पूर्ति करने में उसे सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ता, प्रवहण भत्ता, मकान किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में संदेय है ।

(ख) "विधान सभा" से सिक्किम राज्य की विधान सभा अभिप्रेत है ।

(ग) "अकानूनी निकाय" से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है ।

(घ) "राज्य सरकार" से सिक्किम राज्य की सरकार अभिप्रेत है ।

(ङ) "कानूनी निकाय" से कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे यह निगमित हो या नहीं, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो ।

3. कतिपय पद निरर्हित नहीं करेंगे---यह घोषित किया जाता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद उसके धारक को विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न करेगा या कभी भी निरर्हित किया हुआ नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :---

(क) संघ या सिक्किम सरकार के राज्यमंत्री या उपमंत्री का पद ;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948, प्रादेशिक सेना अधिनियम,1948 या रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई या अनुरक्षित किसी सेना के सदस्य का पद ;

(ग)राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित होमगार्ड में कोई पद ;

(घ) किसी विश्वविद्यालय की सिंडिकेट, सीनेट, कार्य परिषद् या सभा या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शैक्षणिक संस्था की किसी समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ङ) सिक्किम राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में नामनिर्देशित या नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(च) योजना आयोग या समिति या बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त इसी प्रकार के किसी अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(झ) राज्य व्यापार निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ञ) सिक्किम स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य विद्युत बोर्ड में राज्य विद्युत सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिक्किम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ड) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिक्किम राष्ट्रीयकृत यातायात बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिक्किम खनन निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ण) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(त) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ब्लाक मंडल का पद ;

(थ) किसी सार्वजनिक मामले के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा गठित किसी समिति, आयोग, निगम या ऐसे ही किसी अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक, प्रतिकरात्मक भत्ता, वाससुविधा या ऐसे पद के कृत्यों के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए प्रवहण की किसी व्यवस्था से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ।

स्पष्टीकरण---इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अंतर्गत उसी प्रकार का प्रत्येक पद है, चाहे यह किसी भी नाम से ज्ञात हो ।

4. निरसन---सिक्किम विधान सभा सदस्य निरर्हता हटाना अध्यादेश, 1977 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।